

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- प.3(ख)पदौन्नति/अलेसे-II/2015-16/ 2240

दिनांक:- 26/10/2018

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश संख्या 77/2018-19 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखाकार (मैरिट नं. 82/94आर) को सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के पद पर चयन के वर्ष की अंतिम तिथि से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किए गए थे।

उक्त आदेश में "चयन के वर्ष की अंतिम तिथि इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।" के स्थान पर "चयन के वर्ष 2015-16 के लिए पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 46/2015-16 दिनांक 25.06.2015 के अनुसार प्रभावी तारीख से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण का केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा।" पढ़ा जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- प.3(ख)पदौन्नति/अलेसे-II/2015-16/ 2240

दिनांक:- 26/10/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संबंधित कोषाधिकारी।
3. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित कार्मिक के पदौन्नति पर कार्यग्रहण की सूचना विभाग का आवश्यक रूप से प्रेषित करावें।
4. संयुक्त निदेशक, कार्मिक-III, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकार की निजी पत्रावली अलेसे-II अनुभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी अनुभाग/ गोपनीय अनुभाग/वरिष्ठता।
8. श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय.....।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)